जिला प्रशासन की निरन्तर रूप से बड़ी कार्यवाही, गौतमबुद्धनगर में एनजीटी के नियमों का उल्लघंन करने पर 09 संस्थाओं को जुर्माने का नोटिस जारी।

गौतमबुद्धनगर 28 दिसम्बर, 2018

जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 5 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुये 20-20 हजार रूपये के नोटिस जारी किए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन संस्थाआंे पर जुर्माना लगाया गया है, उसमें स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 ई-76 सैक्टर 63 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 ई-09 सैक्टर 06 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 ई-78 सैक्टर 63 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 सी-31 सैक्टर 78 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 सी-23 सैक्टर 58 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर सम्मलित है।

इसी प्रकार नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा 3 संस्था स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स बी0ई0 बिलीमोरया एण्ड कम्पनी लि0 सुपर टेक नाॅर्थ आई का परिसर, प्लाॅट नं0 01ए सेक्टर 74 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स विंडसर कोर्ट प्लाॅट नं0 जी0एच0 04 सेक्टर 78 नोएडा तथा स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स आर0एम0सी0 इण्डिया सुपर टेक नाॅर्थ आई का परिसर प्लाॅट नं0 जी0एच0 01ए सेक्टर 74 नोएड़ा पर 50-50 हजार रूपये तथा 1 संस्था स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स अंसल गोल्फ लिंक 1 सेक्टर ओमेगा 1 ग्रेटर नोएडा पर 25 हजार रूपये का जुर्माने का नोटिस जारी किया गया।

नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।